31.	Shri Krishne Ojha	23,800/-
32.	Shri Dharam Veer	23,800/-
33.	Shri Ravinder Kumar	23,800/-
34.	Shri Budh Dev Kumar	23,800/-
35.	Shri Sanjay	23,800/-
36.	Shri Subhash Kumar	23,800/-
37.	Shri Jai Kumar Rane	23,800/-

WHO warning of carcinogens and Lung Cancer

692. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Health Organisation (W.H.O.) has recently warned of the connection between carcinogens found in diesel exhaust and lung cancer;

(b) if so, what steps Government have taken to check the worsening pollution menace of 2.7 million vehicles plying on the roads of Delhi and emitting toxic fumes;

(c) whether any study has been conducted to find out the people, particularly the school children, suffering from lung related problem in Delhi; and

(d) what steps Government have taken to crack down on the polluting vehicles in Delhi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) No, Sir. However, WHO has reported that the International Agency for Cancer Research has evaluated the carcinogenic risk to humans from diesel and gasoline emission and that the Agency concluded that diesel exhaust may be associated with lung and bladder cancer and it has been classified as "probably" carcinogenic to humans (Group 2A).

(b) The steps taken by the Government to reduce pollution include the following:—

(i) Low lead petrol has been introduced in the 4 metro cities of Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai with effect from June, 1994. Subsequently, unleaded petrol was introduced in the above mentioned four cities on 1.4.1995; and

(ii) The Government is implementing a major plan of action for introduction of unleaded petrol and catalytic converter fitted vehicles and introduction of low sulphur diesel for cleaner diesel vehicles in a phased manner. Fuel quality standards for petrol and diesel have been notified.

(iii) Health Education.

(c) In a sample survey conducted by the Vallabhbhai Patel Chest Institute in nine randomly selected Delhi schools it was inter-alia found that the prevalence of asthma was 12%. The Indian Council of Medical Research has reported that there is no direct evidence to suggest that air pollution by itself can be the cause of asthma Allergens like pollen, house-dust and certain food articles can however trigger off Asthma attacks.

(d) The Government of Delhi has taken the following steps to crack down on the polluting vehicles in Delhi:—

(i) Four wheelers fitted with Catalytic convertors are only being registered in Delhi from 1.4.1995.

(ii) Strict enforcement of vehicular pollution standards and subsequent penal action is being taken against the defaulter.

(iii) With a view to control air pollution caused due to old vehicles, a comprehensive phasing out of old vehicles more than 15—20 years is being carried out from 2.10.1998 to 31.12.1998.

ड्राप्सी से प्रभावित लोगों को मुआवजा

693. प्रो॰ रामगोपाल यादव:
श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मिलावटी तेल के उपभोग से कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं और किन-किन अस्पतालों में कितने-कितने मरीजों को दाखिल किया गया था तथा उनमें से कितने लोग स्वस्थ हो गए और कितने लोगों की मौत हो गई;

(ख) क्या मृतकों के परिवारजनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दत्तिर एथिलमलई): (क) दिल्ली में मिलावटी सरसों का तेल खाने से हुई ड्रापसी के कारण 66 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों, इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगियों और इस रोग से हुई मौतों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन इस बीमारी के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता देने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि, दिल्ली में मुआवजा लेने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन छह मामले दायर किए गए हैं।

(ग) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सरसों के तेल सहित खाद्य तेलों के अधिक से अधिक नमूने लें और स्थिति पर लगातार नजर रखें। सरकार ने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584 (अ) के द्वारा खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 प्रख्यापित किया है इस आदेश के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों को 15 दिसम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बा बन्द) करके बेचने का अनुमति दी जाएगी और पैक करने वाले व्यक्तियों को पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी और खाद्य तेल के नमूनों की जांच करने के लिए सरकार का सन्तुष्टि के अनुसार विश्लेषणात्मक सुविधाएं स्थापित करना जरूरी होंगी। इस आदेश की प्रमुख विशेषताएं विवरण-II में दी गई है (नीचे देखिए)। उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों में मिलावट के कुप्रभावों और उपलब्ध जांच सुविधाओं आदि के बारे में शिक्षित करने और सुग्राही बनाने हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विवरण-I

दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किए गए, इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगियों और रोग से हुई मौतों का ब्यौरा:

संचित योग

अस्पताल	आर ई पी	दाखिल किए गए	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए	मौतें	आर ई पी	दाखिल किए गए	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए कुल रोगी	अभी भी भर्ती	मौतें	एलएएमए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जी.टी.बी. अस्पताल		0	1	0		134	104	0	3	27
डीडीयू अस्पताल		0	1	0		1017	728	0	15	274
एलएम अस्पताल		0	1	0		144	136	0	8	
एसजीएम अस्पताल		0	0	0		0	5	5	0	
सिविल अस्पताल		0	0	0		0	0	0	0	
एचआर अस्पताल		0	0	0		146	140	0	6	
एसडीएन अस्पताल		0	0	0		15	15	0	0	
कस्तूरबा अस्पताल		0	0	0		3	3	0	0	
आरएमएल अस्पताल		0	0	0		472	459	0	13	
सफदरजंग अस्पताल		1	1	1		180	170	0	10	
सुं.कृ. अस्पताल		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		91	91	0	0	
अ.भा.आयु.सं.		-तदेव-	-तदेव-	-तदेव-		36	33	1	2	
बेस (आर्मी) अस्पताल		0	0	0		23	23	0	0	
एनडीएमसी अस्पताल		0	0	0		5	5	0	0	
नार्दनरेलवे अस्पताल		0	0	0		77	75	0	3	
ईएसआई अस्पताल		0	0	0		140	136	0	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गंगाराम अस्पताल		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		6	6	0	0	
सेंट स्टेफन अस्पताल		0	0	0		27	25	0	2	
मूलचन्द अस्पताल		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
होलीफेमली अस्पताल		0	0	0		7	7	0	0	
बत्रा अस्पताल		0	0	0		6	6	0	0	
बीएलकपूर अस्पताल		0	0	0		0	0	0	0	
अपोल्रे अस्पताल		0	0	0		0	0	0	0	
मोबाइलहेल्थ स्कीम		0	0	0		0	0	0	0	
अन्य अस्पताल		0	16	0		22	22	0	0	
कुल :		1	20	0		2556	2189	1	66	301

कुल दाखिल किए गए 2556
इलाज के बाद छुट्टी दिए गए 2189
कुल मौतें: 66
पिछले: सप्ताह 20.10.98 से 25.10.98 में दाखिल किए गए नए रोगी:।
इलाज के बाद छुट्टी दिए गए: 20
मौतें: 0

हस्ता/-
चीफ मिडिया
ड्राप्सी सीओएनटी

विवरण-II

दिनांक 17 सितम्बर, 1998 का अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) की प्रमुख विशेषताएं:

(i) सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों को 15 सितम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बाबन्द) करके बेचने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको किसी पंजीयन प्राधिकरण में पंजीकृत करवाना होगा;

(iii) पैक करने वाले व्यक्ति के पास सरकार की संतुष्टि के अनुसार खाद्य तेलों के नमूनों की जांच करने हेतु अपनी विश्लेषणात्मक सुविधाएं होंगी अथवा पर्याप्त प्रबन्ध होंगे;

(iv) केवल ऐसे तेलों को, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होंगे, पैक करने की अनुमति दी जाएगी;

(v) प्रत्येक कान्टेनर अथवा पैक पर सभी संगत विवरण दर्शाने होंगे ताकि उपभोक्ता गुमराह न हों और पैक करने वाले की पहचान भी स्पष्ट हो सकें;

(vi) खाद्य तेल बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के समनुरूप पैक किए जाएंगे;

(vii) राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पैक करने संबंधी आदेश की किसी भी अपेक्षा को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी।

खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 के कार्यान्वयन की शक्ति – मूलरूप से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है। पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत करवाना होगा। यह पंजीकरण तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा यदि इससे पहले निलंबित न किया गया हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा लेकिन आदेश के अधीन 15 दिसम्बर, 1998 तक तैयारी करने का समय दिया गया है जिसके बाद किसी भी बिना पैक किए गए तेल को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।